उत्तराखंड वनरोपण निकाय ने धन का गलत प्रबंधन किया

चर्चा में क्यों?

उत्तराखंड के अनिवार्य वनरोपण प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण (कैम्पा) पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) **की रिपोर्ट जारी होने** के बाद, निकाय के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने कहा कि वे उठाए गए मुद्दों पर विचार कर रहे हैं।

- वर्ष 2019-20 से 2021-22 तक की अवधि को कवर करने वाली रिपोर्ट में 43 वन प्रभागों में 753.89 करोड़ रुपए का अनुचित व्यय पाया गया।

मुख्य बिंदु

- **CAG ने CAMPA व्यय पर चिंता जताई:**
  - CAG ने कैम्पा के लिये **आवंटित कुल धनराशि में से 13.86 करोड़ रुपए की अनियमितता की बात कही है।**
  - मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने कहा कि यह निर्धारित करने के लिये कि क्या व्यय को प्रशासन द्वारा अनुमोदित किया गया था, लेखापरीक्षा **का सत्यापन आवश्यक है।**
- **विवादित खरीद:**
  - यह पाया गया कि केवल दो मोबाइल फोन खरीदे गए थे तथा CAMPA नियम ऐसी खरीद पर रोक नहीं लगाते।
  - **कैम्पा नियम** वन एवं वन्यजीव संरक्षण के लिये संचार एवं आईटी उपकरणों पर खर्च की अनुमति देते हैं।
- **प्रमुख निधि विचलन की पहचान की गई:**
  - हरिद्वार, टोंस, नैनीताल और नरेंद्रनगर वन प्रभागों ने भवन नवीनीकरण, हरेला और बाड़ लगाने पर 3.6 करोड़ रुपए खर्च किये, जिसे CAG ने "बड़ी हेराफेरी" बताया।
  - **कालागढ़ टाइगर रिज़र्व** (लैंसडाउन प्रभाग) ने 1.71 करोड़ रुपए निम्नलिखित कार्यों के लिये हस्तांतरित किये:
  - बाघ सफारी के लिये मोटर सड़क निर्माण
- **हाथी** सुरक्षा दीवार
  - वन विश्राम गृह की मरम्मत
  - सौर बाड़ लगाना और लैंटाना हटाना
  - CAG ने कहा कि इस योजना को उचित ज़मीनी स्तर के विश्लेषण के बिना **वार्षिक परिचालन योजना (APO) में शामिल कर लिया गया।**

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG)

- संविधान **के अनुच्छेद 148** के अनुसार भारत का CAG **भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग (IA-AD) का** प्रमुख होता है।
- वह सार्वजनिक खजाने की सुरक्षा तथा केंद्र एवं राज्य दोनों स्तरों पर वित्तीय प्रणाली की देखरेख के लिये ज़िम्मेदार होता है।
- CAG वित्तीय प्रशासन में **संविधान और संसदीय कानूनों को कायम रखता है और इसे** सर्वोच्च न्यायालय, चुनाव आयोग और संघ लोक सेवा आयोग के साथ भारत की लोकतांत्रिक प्रणाली के प्रमुख स्तंभों में से एक माना जाता है।
- भारत का CAG **नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 द्वारा शासित होता है,** जिसमें वर्ष 1976, 1984 और 1987 में महत्त्वपूर्ण संशोधन किये गए।

कालागढ़ टाइगर रिज़र्व

- **परिचय:**
  - यह **उत्तराखंड के नैनीताल ज़िले में स्थित है।**
  - इसका **गठन 1974 में हुआ था जब जिम कॉर्बेट पार्क** के उत्तरी क्षेत्र का **नाम बदलकर कालागढ़ टाइगर रिज़र्व कर दिया गया था।**
  - **इसका नाम** रामगंगा नदी पर बने **कालागढ़ बाँध के नाम पर रखा गया है।**
  - सोना नदी वन्यजीव अभयारण्य और जिम कॉर्बेट पार्क सहित 301.18 वर्ग किमी में फैला हुआ।
- **भूभाग:**

- [हिमालय](#) की तलहटी में स्थित है।
- इसमें जंगलों, घास के मैदानों और पहाड़ियों का विविध परिदृश्य है।

- **वनस्पति:**
  - **साल, शीशम, सेमल, बाकली, हलदु, तुन, सैन, अंजीर और बाँस** जैसे पेड़ों का घर है।
  - औषधीय पौधों से भरपूर है।
- **जीव-जंतु:**
  - **यहाँ बाघों, तेंदुओं, हाथियों और अन्य जंगली बिल्लियों** का उच्च घनत्व है।
  - यहाँ विभिन्न **हिरण प्रजातियाँ निवास करती हैं, जिनमें चीतल, भौंकने वाले हिरण, गोरल, सांभर और हॉग हिरण शामिल हैं।**
  - यह 580 से अधिक पक्षी प्रजातियों का घर है, जैसे **किंगफिशर, वैगटेल, फोर्कटेल, तीतर और हॉर्नबिल।**

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/uttarakhand-afforestation-body-mismanaged-funds